# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाडा

मु0न0ः– 05 / 2020

**पीठासीन अधिकारी ः– दामोदर सिंह ( आर.ए.एस.)**

तारीख रजू 15.07.2020

1. रामबिलास पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र गंगाधर मीना निवासी निवासी शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. सोराज पुत्र गंगाधर निवासी शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. नेतराम पुत्र बदरी जाति मीना निवासी शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. आत्माराम पुत्र बदरी जाति मीना निवासी शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. ग्राम पंचायत भेडोला, तहसीइल चौथ का बरवाड़ा जरिये सरपंच सचिव ग्राम पंचायत भेडोला
6. सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

**वकील अपीलाण्टः– श्री अब्दुल बहाव एड0**

**रेसपोन्डेट न0 1 लगायत 6 की एकपक्षीय कार्यवाही**

**अपील विरूद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 27.02.72 वाके ग्राम शेरसिंहपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा**

**निर्णय दिनांक 03.05.2024**

**–ःनिर्णयः–**

1. यह है कि अपीलाण्ट रामबिलास पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 27.02.72 ग्राम शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि यह नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक करने से पूर्व गंगाधर के वारिसान के सही नाम को कोई जांच नहीं की और सरसरी तरीके से ही नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व रेस्पोंडेंट 1 लगायत 4 का सजरा परिवार निम्नानसुार है–

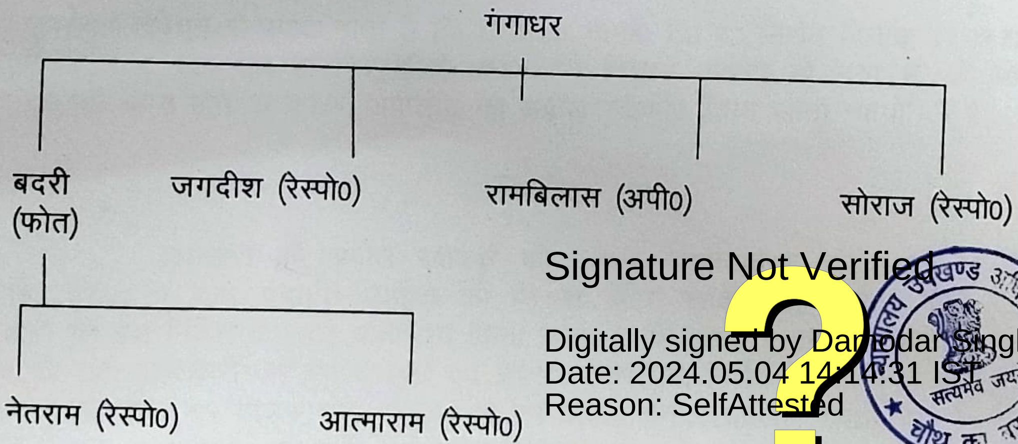


Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.05.04 14:14:31 IST
Reason: SelfAttested

गंगाधर की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण जेरे बहस जो तस्दीक किया गया है, उसमें पटवारी हल्का ने अपीलांट का नाम रामबिलास होने हुए भी बिलास अंकित कर दिया जबकि अपीलांट का नाम रामबिलास है, लेकिन इस तथ्य की पटवारी हल्का ने नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत से नामांतरकरण जेरे बहस तस्दीक

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

करवा लिया और इस संबंध में ग्राम पंचायत ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। आराजीयात हाल खसरा नंबर 1006/1230, 276, 277, 322, 331, 357, 358, 500/1183, 578/1178, 598, 663, 664, 671, 672, 839, 840, 841, 842, 843, 844/1111, 988 का कुल किता 22 कुल रकबा 4.37 है0 ग्राम शेरसिंहपुरा अपीलांट व रेस्पोंडेंट नं. 1 व 2 के पिता तथा रेस्पो0 नं. 3 व 4 के दादा गंगाधर की कब्जे काश्त व खातेदारी में थी और उनकी मृत्यु पश्चात् अपीलांट मृतक गंगाधर की खातेदारी भूमि का 1/4 हिस्से का एवं शेष 3/4 हिस्से के रेस्पोंडेंट खातेदार काश्तकार हैं तथा सभी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिल चले आ रहे हैं, परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलांट का नाम रामबिलास होते हुए भी बिलास के नाम नामान्तरकरण भरकर तस्दीक करवा दिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट जेरे बहस गलत नाम तस्दीक होने की कोई जानकारी नहीं की परन्तु जब अपीलांट केसीसी बढ़वाने हेतु दिनांक 17.02.20 को बैंक गया तब बैंक वालों ने बताया की तुम्हारा नाम बिलास दर्ज है, जबकि दस्तावेजों यथा राशन कार्ड आदि में नाम रामबिलास है, जो दुरूस्ती योग्य है। अपील अंदर मियाद पेश कर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 27.02.72 वाके ग्राम शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोन्डेट न0 1 लगायत 6 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेसपोन्डेट न01 लगायत 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्व एक तरफ कार्यवाही की गई।

3. जरिये बकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अपीलाण्ट का कथन है कि गंगाधर की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण जेरे बहस जो तस्दीक किया गया है, उसमें पटवारी हल्का ने अपीलांट का नाम रामबिलास होते हुए भी बिलास अंकित कर दिया, जबकि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी अधार कार्ड एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड में अपीलांट का नाम रामविलास पुत्र गंगाधर है। अतः उक्त राजकीय दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट बिलास का नाम दुरूस्ती योग्य होने के कारण अपील स्वीकार योग्य है।

4. हमने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। विवादित नामा0 सं0 70 में पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का नाम बिलास दर्ज कर दिया था, जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट का सही/शुद्ध नाम रामबिलास/रामविलास होना पाया गया है।

5. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विवादित नामा0 सं0 70 निर्णय दिनांक 27.02.72 में अपीलांट का नाम रामविलास के स्थान पर बिलास अंकित हो गया है, जो कि दुरूस्ती योग्य होने के कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## –:आदेश:–

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण [illegible] 70 निर्णय दिनांक 27.02.72 ग्राम पंचायत भेडोला को निरस्त किया जाकर [illegible] चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक गंगाधर [illegible] के नाम की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.05.04 14:14:31 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा